ाय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ान अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बरः—192/2019 प्रार्थना पत्र
रज्जाक खान पिता शरीफ खान पठान, उम्र बालिग निवासी मकान नम्बर 254 वार्ड नं0 7
ाहरनगर भीलवाड़ा (राजस्थान)
ाति सैयद रूबिना पत्नि रज्जाक खॉन पठान, उम्र बालिग निवासी मकान नम्बर 254 वार्ड नं. 7
ाहरनगर—भीलवाडा (राजस्थान)
—————प्रार्थीगण

बनाम

किशनलाल पिता करमा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
चन्दू बेवा करमा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ळग्गू बेवा करमा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
भैरू पिता हजारी कुम्हार, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
रायमल पिता लखमा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—21.10.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 352 रकबा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा िवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात ा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.2019 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे ात्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे ाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने कें कारण दिनांक 18.10.2019 को एक तरफा कार्यवाही े का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक ्स सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, ाटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ्ने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 त स्वीकार किया जाकर कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा त हाल आराजी नम्बर 352 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, गुरला को –(तीन सौ रूपये) रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस ण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही ढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner